(2010) 11 एस.सी.आर. 857

अरविंद कुमार मिश्रा

बनाम

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एएनआर

(2005 की सिविल अपील संख्या 5510)

29 सितंबर, 2010

[आफताब आलम और आर.एम. लोधा, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - एस. 166 - मुआवजा - दावा - अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र की मोटर दुर्घटना, आयु 25 वर्ष - 70% स्थायी विकलांगता - रुपये 250000 का मुआवजा 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित। ट्रिब्यूनल द्वारा बढ़ाकर रु. उच्च न्यायालय द्वारा 350000/- अपील पर: ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने मुआवजे का आकलन करते समय एक उपयुक्त मल्टीप्लिकैंड का उचित गुणक नहीं लेने में गलती की - तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मल्टीप्लिकैंड को रुपये के रूप में लेना। 42000/- प्रति वर्ष और ऑपरेटिव मल्टीप्लायर 18 के रूप में, मुआवजा बढ़ाकर रु. 906000/- प्रति वर्ष 9%की दर से साधारण ब्याज के साथ। - दावेदार 15000/-.रुपये की लागत का भी हकदार है।

अपीलकर्ता, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र, उम्र लगभग 25 वर्ष, ट्रक के चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। यह प्रमाणित किया गया कि अपीलकर्ता को 70% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा। अपीलकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एक आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने रुपये का मुआवजा दिया। 250000/- 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, वाहन के मालिक और बीमाकर्ता को अपीलकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। हाई कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया. 350000/-. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने तत्काल अपील दायर की।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा: 1.1 857 का आकलन करने का पारंपरिक आधार सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवजे की रिपोर्ट दी है - और यह अब मुआवजे के उचित उपाय के रूप में एक मान्यता प्राप्त तरीका है - एक उचित गुणक का उचित गुणक ले रहा है। मौजूदा मामले में, ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने मान्यता प्राप्त तरीके के अनुसार अपीलकर्ता को व्यक्तिगत चोट के लिए मुआवजे का आकलन नहीं करने में गंभीर गलती की है - एक उपयुक्त गुणक का उचित गुणक लेकर[पैरा 7 और 9] [864-सी-डी; 865-ई]

महाप्रबंधक केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम बनाम सुसम्नाथॉमस (श्रीमती) और अन्य (1994) 2 एस.सी.सी 176 - पुष्टि की गई।

1.2 दुर्घटना के समय अपीलकर्ता एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) के अंतिम वर्ष का छात्र था। वह उल्लेखनीय रूप से मेधावी छात्र थे और उन्होंने अपनी सभी सेमेस्टर परीक्षाएँ उत्कृष्टता के साथ उत्तीर्ण की थीं। दुर्घटना के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं और लगभग दो महीने तक कोमा में रहे।

उनकी पढ़ाई बाधित हो गई क्योंकि उन्हें सर्जरी और अन्य उपचारों के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। कई महीनों तक उनकी हालत गंभीर बनी रही और उनका दाहिना हाथ कट गया और दृष्टि गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इन अनेक चोटों के कारण अंततः 70% स्थायी विकलांगता हो गई। उन्हें अक्षम बना दिया गया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उनकी चुनी हुई लाइन में उनका आगे का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह अब ऐसी शारीरिक स्थिति में हैं जिसमें उन्हें जीवन भर घरेलू मदद की आवश्यकता होगी। उसे उन आर्थिक लाभों से वंचित कर दिया गया है जो वह यथोचित रूप से प्राप्त कर सकता था यदि दुर्घटना में उसे 70% की सीमा तक स्थायी विकलांगता का सामना नहीं करना पड़ता। [पैरा 10] [865-एफ-एच; 866-ए]

1.3 बी.एल.टी. जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) पूरा करने पर, यह उचित रूप से माना जा सकता है कि उसे एक अच्छा स्थान मिला होगा. अपीलकर्ता ने अपने साक्ष्य में कहा कि कैंपस साक्षात्कार में उसे टाटा के साथ-साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भी चुना गया था और रुपये के वेतन पैकेज की पेशकश की गई थी। 350000/- प्रति वर्ष। अगर किसी सबूत के अभाव में इसे स्वीकार भी न किया जाए तो भी उन्हें निजी क्षेत्र में कोई अच्छी नौकरी पाने में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि उन्होंने सरकारी सेवा में शामिल होने का निर्णय लिया होता और चयनित हो जाते, तो उन्हें सहायक अभियंता के वेतनमान में रखा जाता और कम से कम रु. 60000/- प्रति वर्ष। वह जहां भी शामिल हुए, उन्हें कुछ पदोन्नति और कुछ उच्च पद की दूरस्थ संभावना थी। लेकिन प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए जीवन की अनिश्चितताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसकी भविष्य की कमाई का आकलन रुपये पर करना उचित और तर्कसंगत है। सार्वजनिक रोजगार में एक सहायक अभियंता को देय वेतन और भत्ते को आधार मानते हुए 60000/- प्रति वर्ष। चूंकि उन्हें 70% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, इसलिए भविष्य की कमाई में 30% की छूट दी जा सकती है और, तथ्यों पर अनुमान लगाया गया है कि गुणक 42000/- रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए। दुर्घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। *सरला वर्मा के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार ऑपरेटिव गुणक 18 होगा। रुपये के गुणक को कम करने से भविष्य की कमाई का नुकसान होगा। 18 के गुणक द्वारा 42000/- रुपये आता है। 756000/-, अपीलकर्ता को भविष्य की कमाई के नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाना रु. होना चाहिए। 756000/-, ट्रिब्यूनल ने उन्हें रु। चिकित्सा व्यय सहित इलाज के लिए 150000/- रु. इसे वैसे ही बरकरार रखा गया है और अपीलकर्ता मुआवजे की कुल राशि रुपये का हकदार है। 906000/- [पैरा 11] [866-बी-एच; 867-ए]

*सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य। बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एएनआर (2009) 6एससीसी121 - पर निर्भर।

1.4 यह दलील कि अपीलकर्ता निर्दिष्ट गुणक के अनुसार मुआवजे का हकदार है केवल 1988 अधिनियम से जुड़ी दूसरी अनुसूची में इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि अपीलकर्ता ने अपना दावा 1988 अधिनियम की धारा 166 के तहत किया है, न कि धारा 163ए के तहत।दूसरी अनुसूची1988 अधिनियम की धारा 166 के तहत की गई दावा याचिका पर लागू नहीं होती है। [पैरा 12] [867-बी-डी]

अरविंद कुमार मिश्रा. न्यू इंडिया एश्योरेंसकम्पनी. लिमिटेड और ए.एन.आर. 859
रेशमा कुमारी और अन्य बनाम मदन मोहन और ए.एन.आर. (2009) 13 एससीसी 422 - संदर्भित।
1.5 उच्च न्यायालय द्वारा रुपये की राशि में मुआवजा दिया गया। रु0350000/- को बढ़ाकर रु0 906000/- अपीलकर्ता 7 अगस्त 2002 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक बढ़ी हुई राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज का हकदार होगा। अपीलकर्ता अपील की लागत का भी हकदार होगा जो रुपये में निर्धारित है। 15000/-. [पैरा 13] [867-ई-एफ]
केस कानून संदर्भ:
(1994) 2 एस.सी.सी 176 पैरा 8 का उल्लेख किया गया है।
(2009) 6 एस.सी.सी. 121 का संदर्भ दिया गयापैरा 12
(2009) 13 एस.सी.सी. 422 का उल्लेख किया गया है पैरा 12
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5510 वर्ष 2005 का.
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 12.01.2004 से एम.ए. संख्या 71 वर्ष 2003
श्री प्रकाश सिन्हा, विजय कुमार, शेखर कुमार, एस.चन्द्रशेखर अपीलार्थी की ओर से
ए.के. रैना, अनिल कुमार झाप्रतिवादियों की ओर से
न्यायालय का निर्णय आर.एम. लोढ़ा जे. द्वारा सुनाया गया।, 1. वर्तमान अपील, विशेष अनुमति द्वारा, मुद्दा उठाता है, वास्तव में एकमात्र मुद्दा, एक मोटर दुर्घटना के पीड़ित के संबंध में कमाई के नुकसान के आकलन का, जिसे 70% स्थायी विकलांगता प्रमाणित किया गया था। 2. अरविंद कुमार मिश्रा - अपीलकर्ता - दुर्घटना के समय बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा (बी.आई.टी.) में इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र, 23 जून को ट्रक पंजीकरण संख्या डीईजी 3291 को लापरवाही से चलाए जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। 1993 विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल चला रहा अपीलकर्ता सड़क पर गिर गया। उन्हें कई चोटें लगीं; इंटरवेंट्रिकुलर हेमोरेज के साथ मस्तिष्क की व्यापक मल्टीफोकल क्षति; दाहिनी आँख में ऑप्टिक शोष और बायीं आँख में 3+ सापेक्ष अभिवाही पैपिलरी; कार्पोमेटाकार्पल जोड़ के स्तर तक दाहिने हाथ के डिस्टल का विच्छेदन; टिबिया के शाफ्ट का यौगिक फ्रैक्चर (बाएं); कुल ब्रोन्कियल प्लेक्सस पक्षाघात; तीसरे और चौथे कार्टिलाजिनस रिंग के स्तर पर श्वासनली की पूर्वकाल की दीवार का अवरुद्ध होना और विकृति। उनका इलाज विभिन्न अस्पतालों, आर.एम.सी.एच, रांची, सी.सी.एल.अस्पताल, गांधीनगर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, वेल्लोर और शंकर नेत्रालय, मद्रास में कई डॉक्टरों द्वारा किया गया था। उन्हें कुछ सर्जिकल ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। थोड़ा ठीक होने के बाद, उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 अधिनियम') की धारा 166 के तहत एक आवेदन दायर कर कुल मुआवजे का दावा किया।
22 लाख रुपये जिसमें उस समय तक उनके द्वारा किया गया खर्च भी शामिल था। उनके इलाज के लिए 150000/- रु.
3. हमलावर वाहन का बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (बीमाकर्ता') से किया गया था। मालिक और बीमाकर्ता ने दावा याचिका का विरोध किया। दावा याचिका के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पास कर ली। उन्होंने स्वयं जांच की और कुछ डॉक्टरों को साक्ष्य के तौर पर

अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडियाएश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एएनआर 861 (आर.एम. लोढ़ा, जे] बुलाया जिन्होंने उनका इलाज किया था। विभिन्न अस्पतालों में उनके इलाज पर हुए खर्च का वाउचर भी पेश किया गया।

4. मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रांची (के लिए संक्षिप्त 'ट्रिब्यूनल') ने 19 दिसंबर, 2002 के अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना पंजीकरण संख्या डी.ई.जी 3291 वाले ट्रक की तेज गति और लापरवाही से चलाने के कारण हुई। इसने यह भी माना कि वाहन के मालिक और बीमाकर्ता अपीलकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थे। मुआवजे की मात्रा के संबंध में, ट्रिब्यूनल ने कुल मुआवजे की अनुमति दी। मामले पर निम्नानुसार विचार करते हुए 250000/- 7 अगस्त 2002 से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित:

आर्थिक क्षति के शीर्ष के तहत वह राशि जो दावेदार द्वारा उसके उपचार में चिकित्सा व्यय, अन्य सामग्री हानि सहित संशोधित की गई है, कुल एकमुश्त मुआवजा राशि दावेदार कोरु. 150000/- (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। जहां तक गैर-आर्थिक क्षति का सवाल है, साक्ष्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि घायल बी.आई.टी. में इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का एक प्रतिभाशाली छात्र था। मेसरा, और उक्त दुर्घटना के कारण उन्होंने अपना भविष्य का करियर खो दिया है। उन्हें मानसिक और शारीरिक सदमा भी झेलना पड़ा है और भविष्य में भी झेलना पड़ेगा. उसे लगी चोटों के कारण क्षति और जीवन की उम्मीद की हानि भी हुई है। उसे जीवनपर्यंत असुविधा, कठिनाई, परेशानी निराशा और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, इसलिए एकमुश्त मुआवजा राशि रु. दावेदार को 100000/- (केवल एक लाख रुपये) प्रदान किया जा रहा है। कुल मुआवज़ा रु250000/- (केवल दो लाख पचास हजार रुपये) जिस पर दावेदार 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित हकदार है।"

5. ट्रिब्यूनल द्वारा मुआवजे के आकलन से असंतुष्ट दावेदार ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। रांची. हाईकोर्ट ने इस मामले पर विचार करते हुए मुआवजे की राशि 250000/- रुपये से बढ़ाकर 350000/- रुपये कर दी.

"मोटर वाहन की धारा 166 के तहत एक आवेदन पर अधिनियम, 1988, मुआवजा केस संख्या 183/1993 के तहत मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रांची ने राशि का आकलन कियारुपये की 150000/- का भुगतान उन्हें आर्थिक क्षति के तहत किया जाएगा, अर्थात वह राशि जो उन्होंने अपने इलाज के लिए खर्च की थी, जिसमें चिकित्सा व्यय भी शामिल है। गैर आर्थिक क्षति के लिए 100000/- की राशि प्रदान की गई। यानी उसकी दाहिनी कलाई की हानि और दाहिने ऊपरी अंग के पक्षाघात के साथ-साथ उसकी दाहिनी आंख की दृष्टि की हानि के लिए 70% की सीमा तक स्थायी विकलांगता।

अपीलकर्ता की विकलांगता की प्रकृति और जीवन में उसकी भावी प्रत्याशा के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि वह रुपये की राशि का हकदार था। गैर आर्थिक हानि के कारण रु0 200000/-

तदनुसार, हम आक्षेपित निर्णय और पुरस्कार को इस हद तक संशोधित करते हैं कि दावेदार 2,50,000 रुपये की कुल राशि के बजाय रुपये पाने का हकदार है। 3,50,000/-, यह कहा गया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई ब्याज सहित पुरस्कार राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसलिए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि मुआवजे की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा यदि उक्त राशि छह सप्ताह के भीतर ट्रिब्यूनल के समक्ष

जमा की जाती है, ऐसा न होने पर ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज बढ़ी हुई राशि पर दिनांक 07.08.2002 सेराशिभीदेय होगा।

6. ट्रक (डी.ई.जी.3291), दुर्घटना हुई जिसमें अपीलकर्ता को गंभीर चोटें आईं और इसलिए, मालिक और बीमाकर्ता क्षति के लिए उत्तरदायी थे। उस मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की गई थी।

8. हम व्यक्तिगत चोट के लिए सभी नुकसानों के आकलन के संबंध में अधिकारियों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा करने का इरादा नहीं रखते हैं।इतना कहना पर्याप्त होगा कि सभी क्षतियों के आंकलन का आधार यही है व्यक्तिगत चोट के लिए मुआवजा है। पूरा विचार यह है कि दावेदार को उसी स्थिति में रखा जाए जहां तक वह धन के मामले में था। पूर्ण मुआवज़ा शायद ही संभव है लेकिन किसी को यह ध्यान रखना होगा कि पीड़ित ने कोई गलत काम नहीं किया है; उसने गलत काम करने वाले के हाथों कष्ट सहा है और अदालत को उसे उसके कष्ट के लिए पूर्ण और उचित मुआवजा देने का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत चोट के कुछ मामलों में, दावा जीवन भर की खोई हुई कमाई के संबंध में हो सकता है, क्योंकि यद्यपि वह जीवित रहेगा, लेकिन वह अपनी आजीविका नहीं कमा सकता है। अन्य में, कमाई के आंशिक नुकसान के लिए दावा किया जा सकता है। प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए और अंत में, किसी को यह पूछना चाहिए कि क्या दी गई राशि उचित और उचित राशि है। व्यक्तिगत चोट के मामलों में मुआवज़े का आकलन करने का पारंपरिक आधार - और वह अब मुआवज़े के उचित उपाय के रूप में मान्यता प्राप्त तरीका है - एक उचित गुणक का उचित गुणक लेना है।

8. महाप्रबंधक केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, त्रिवेन्द्रम वी. सुसम्मा थॉमस (श्रीमती) और अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:

"13 गुणक विधि में मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्भरता या गुणक के नुकसान का पता लगाना और एक उपयुक्त गुणक द्वारा गुणक को पूंजीकृत करना शामिल है। गुणक की पसंद मृतक की उम्र (या वह) के आधार पर निर्धारित की जाती है दावेदारों की संख्या जो भी अधिक हो) और यह गणना करते समय कि स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त ब्याज दर पर निवेश की गई पूंजी राशि वार्षिक ब्याज के माध्यम से गुणक प्राप्त करेगी, इसका भी ध्यान रखना चाहिए तथ्य यह है कि अंततः पूंजी राशि का उपभोग भी उसी अवधि में किया जाना चाहिए जिसके लिए निर्भरता बनी रहने की उम्मीद है।

17. गुणक वर्षों की खरीद की संख्या को दर्शाता है जिस पर निर्भरता की हानि का पूंजीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे मामले को लें जहां निर्भरता का वार्षिक नुकसान 10000 रुपये है। यदि 100000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है ब्याज, ब्याज हमेशा के लिए निर्भरता का ख्याल रखेगा। इस मामले में गुणक 10 पर काम करता है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है और 10% नहीं है तो पूंजीकरण के लिए गुणक की आवश्यकता है 10000 रुपये पर वार्षिक निर्भरता का नुकसान 20 होगा। फिर गुणक, यानी, 20 की खरीद के वर्षों की संख्या स्थायी रूप से वार्षिक निर्भरता प्राप्त करेगी, फिर गुणक को कम करने के लिए भत्ता को ध्यान में रखना होगा भविष्य की अनिश्चितताएं, तत्काल एकमुश्त भुगतान के

लिए भत्ते, जिस अवधि तक निर्भरता बनी रहती है वह कम हो जाती है और पूंजी फ़ीड भी निर्भरता की अवधि तक खर्च हो जाती है आदि। आमतौर पर अंग्रेजी अदालतों में ऑपरेटिवमल्टीप्लायर होता है शायद ही कभी अधिकतम 16 से अधिक हो। मृत व्यक्ति की उम्र (या आश्रितों की, जो भी अधिक हो) बढ़ने के साथ-साथ इसमें कमी आएगी।''

9. सुसम्ना थॉमस में निर्धारित सिद्धांत अभी भी प्रभावी हैं; एकमात्र भिन्नता अधिकतम गुणक के संबंध में रही है। वर्तमान मामले में ट्रिब्यूनल के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने मान्यता प्राप्त तरीके के अनुसार अपीलकर्ता को व्यक्तिगत चोट के लिए मुआवजे का आकलन नहीं करने में गंभीर रूप से गलती की है, यानी एक उपयुक्त गुणक का उचित गुणक लेकर।

10. दुर्घटना के समय अपीलकर्ता एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) के अंतिम वर्ष का छात्र था। वह उल्लेखनीय रूप से मेधावी छात्र थे और उन्होंने अपनी सभी सेमेस्टर परीक्षाएँ उत्कृष्टता के साथ उत्तीर्ण की थीं। उक्त दुर्घटना के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं और वे लगभग दो महीने तक कोमा में रहे।उनकी पढ़ाई बाधित हो गई क्योंकि उन्हें सर्जरी और अन्य उपचारों के लिए विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। कई महीनों तक उनकी हालत गंभीर बनी रही; उनका दाहिना हाथ कट गया और दृष्टि गंभीर रूप से प्रभावित हुई। इन अनेक चोटों के कारण अंततः 70% स्थायी विकलांगता हो गई। उन्हें अक्षम बना दिया गया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उनकी चुनी हुई लाइन में उनका आगे का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह अब एक में है शारीरिक स्थिति यह है कि उसे जीवन भर घरेलू सहायता की आवश्यकता होती है। उसे उन आर्थिक लाभों से वंचित कर दिया गया है जो वह यथोचित रूप से प्राप्त कर सकता था यदि दुर्घटना में उसे 70% की सीमा तक स्थायी विकलांगता का सामना नहीं करना पड़ता।

11. बी.आई.टी. जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) पूरा करने पर, यह उचित रूप से माना जा सकता है कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई होगी। अपीलकर्ता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि कैंपस साक्षात्कार में उसे टाटा के साथ-साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भी चुना गया था और रुपये के वेतन पैकेज की पेशकश की गई थी। 350000/- प्रति वर्ष। भले ही उसके समर्थन में किसी सबूत के अभाव में उसे स्वीकार न किया जाए, फिर भी उसके लिए निजी क्षेत्र में कोई अच्छी नौकरी पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि उन्होंने सरकारी सेवा में शामिल होने का निर्णय लिया होता और चयनित हो जाते, तो उन्हें सहायक अभियंता के वेतनमान में रखा जाता और कम से कम रु0 60000/- प्रति वर्ष। वह जहां भी शामिल हुए, उन्हें कुछ पदोन्नति और कुछ उच्च पद की दूरस्थ संभावना थी। लेकिन प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए जीवन की अनिश्चितताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, उसकी भविष्य की कमाई का आकलन रुपये पर करना उचित और उचित है। सार्वजनिक रोजगार में एक सहायक अभियंता को देय वेतन और भत्ते को आधार मानते हुए 60000/- प्रति वर्ष। चूंकि उन्हें 70% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा, इसलिए भविष्य की कमाई में 30% की छूट दी जा सकती है और तदनुसार, हम तथ्यों पर अनुमान लगाते हैं कि गुणक 42000/- रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए।दुर्घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और ए.एन.आर. में इस

न्यायालय के निर्णय के अनुसारऑपरेटिवगुणक18 होगा। रुपये के गुणक को गुणा करने पर भविष्य की कमाई का नुकसान होगा। 42000/- रुपये के 18 गुणक द्वारा रू0 756000/- आता है हमारे सुविचारित निर्णय में, भविष्य की कमाई के नुकसान के लिए अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

ट्रिब्यूनल ने उन्हें रु0 756000/-.चिकित्सा व्यय सहित उपचार के लिए 150000 रु0

जैसा है वैसा ही रखा जाता है और तदनुसार, कुल मुआवजे की राशि जिसके लिए अपीलकर्ता हकदार है वह रु0 906000/-/-(नौ लाख छः हजार) होगा.

12. समाप्त करने से पहले, हमें बीमाकर्ता के विद्वान वकील को पूरी निष्पक्षता से उसकी इस दलील पर ध्यान देना चाहिए कि अपीलकर्ता केवल 1988 के अधिनियम से जुड़ी दूसरी अनुसूची के अनुसार मुआवजे का हकदार है। यह दलील इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि अपीलकर्ता ने अपना दावा 1988 अधिनियम की धारा 166 के तहत किया था, न कि धारा 163 ए के तहत। यह सच है कि रेशमा कुमारी एवं अन्य में। बनाम मदन मोहन एवं अन्य, 3 इस न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने इस प्रश्न का उल्लेख किया है कि क्या दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट गुणक को धारा 166 के तहत आने वाले मामले में देय मुआवजे की राशि की गणना के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाना चाहिए। बड़ी पीठ को और उक्त प्रश्न पर अभी तक आधिकारिक रूप से निर्णय नहीं लिया गया है। हालाँकि, वर्तमान मामले जैसे मामले में, हमें उपरोक्त प्रश्न पर बड़ी पीठ के फैसले का इंतजार करने का कोई औचित्य नहीं लगता है क्योंकि इस न्यायालय के पहले से ही कुछ निर्णय हैं जो मानते हैं कि दूसरी अनुसूची का दावा याचिका पर कोई आवेदन नहीं है। 1966 अधिनियम की धारा 166 के तहत।

13. परिणामस्वरूप, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और उच्चन्यायालय द्वारा रुपये की राशि का मुआवजा दिया जाता है। रु0 350000/- को बढ़ाकर रु0 906000/-. अपीलकर्ता 7 अगस्त 2002 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक बढ़ी हुई राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज का हकदार होगा।अपीलकर्ता इस अपील की लागत का भी हकदार होगा जिसे हम रुपये में मापते हैं तो 15000/- रू0 देय होगा.

एन.जेअपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

<u>यह अनुवाद किरण शंकर मिश्रा, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।</u>